

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.:- 170/2023

वाद पत्र-अ0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

1. ओमप्रकाश पुत्र बोगाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
2. रामकुमार उर्फ अमरसिंह पुत्र बोगाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
3. रामप्रताप पुत्र बोगाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
4. केवलराम पुत्र बलराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
5. सुनील कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
6. रोहिताश कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
7. मन्जू देवी पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)
8. शिमला देवी पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)

-वादीगण

बनाम्

1. सरोज पुत्री बलराम जाति जाट निवासी रतनपुरा, तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़(राज0)

महायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
3. पृथ्वीराज पुत्र मामराज जाति जाट निवासी रतनपुरा हाल बोलावाली तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
4. मनीराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी रतनपुरा हाल बोलावाली तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
5. भूराराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी रतनपुरा हाल बोलावाली तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
6. राधादेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
7. रामचन्द्र पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
8. सुरेश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
9. सावित्री देवी पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
10. रामकरण पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ(राज0)
11. तहसीलदार राजस्व तहसील संगरिया, जिला-हनुमानगढ(राज0)

— प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6-9-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकिल वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकिल प्रवादी सख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्की निम्नानुसार दी जाती है:-

चक नं. 4 आरटीपी खाता सख्या 160/100

वादी सं.01 ओमप्रकाश व वादी सं.02 रामकुमार उर्फ अमरसिंह वादी सं.03 रामप्रताप 3/4 ब. हि.ब वादी सं.04 केवलराम 1/4 के हक मे आई कृषि भूमि

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

नरेश चन्द्र कलैक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

178/193 74 6-15-16-25/1.012 हैक्ट, 7/1-14/1-0.

084 है.प्र. 17/1/0.085 हैक्ट

179/193 73 20/0.253 हैक्ट 21/1/0.169 है

178/194 77 5/1/0.228 हैक्ट 5/2/0.025 गै.मु. है

कुल 1.940 हैक्ट नहरी मय गै.मु कृषि भूमि

प्रति. सं.07 राजेन्द्र व प्रति. सं.08 सुरेश प्रति.सं.09 सावित्रीदेवी ब.हि.ब 1.552 हैक्ट प्रति. सं.

6 राधा 0388 हि.के हक मे आई कृषि भूमि

प.नं. मु.नं. कि.नं.

178/193 74 24/0.253 हैक्ट

7/2-8/1-14/2-13/1-18/1/0.169 है.प्र.

17/1/0.168 हैक्ट

179/193 73 21/2/0.084 है

178/194 77 4/1/0.228 हैक्ट 4/2/0.025 गै.मु. है

179/194 78 1/1/0.228 हैक्ट 1/2/0.025 गै.मु. है

2/1/1/0.076 हैक्ट 2/2/1/0.008 गै.मु. है

कुल 1.940 हैक्ट नहरी मय गै.मु कृषि भूमि

वादी सं.05 सुनील कुमार व वादी सं.06 रोहिताश कुमार वादी सं.07 मन्जू देवी वादी सं.

04 शिमला देवी .के हक मे आई ब.हि.ब कृषि भूमि

प.नं. मु.नं. कि.नं.

178/193 74 9-12-19/0.759 हैक्ट, 8/2-13/2-18/2/0.

084 हैक्ट, प्र.23/0.253 हैक्ट

178/194 77 3/1/0.228 हैक्ट 3/2/0.025 गै.मु. है

179/194 78 2/1/2/0.152 हैक्ट 2/2/2/0.017 गै.मु. है

कुल 1.686 हैक्ट नहरी मय गै.मु कृषि भूमि

महाराष्ट्र प्रिन्टर एंव
सुपरवाइंड अधिकारी
संगरिया

शाईना नांरग पत्नी सन्नी छाबडा जाति अरोडा हक व हिस्सा कि कृी भूमि

प.नं. मु.नं. कि.नं.
178/194 77 6/0.253 हैक्ट

कुल 0.253 हैक्ट नहरी

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/ भू.अ./2669 दिनांक 12-07-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निज...निल...मुब्लिक...निल...बाबत...निल...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारिख वसूलयाबी तक...अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6-9-24...जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
संगरिया
अधिकारी संगरिया